

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 08.07.2024

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों कि गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0440/2024 धारा 115(2),352,109 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्ण मोहन उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादिनी के पति अवधेश चौरसिया द्वारा अपने गाय को ले जाते समय प्रतिवादी के घर के सामने गोबर कर देने की बात को लेकर प्रतिवादी द्वारा वादिनी के पति को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी व ईंट से मारपीट कर अधमरा कर दिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

कृष्ण मोहन उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 चन्द्रभान चौरसिया निवासी मुसतफाबाद उर्फ मलउर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0440/2024 धारा 115(2),352,109 बी0एन0एस0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का टीम-

1. थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विनोद कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
3. का0 सुरेन्द्र रावत थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर